SPEED POST

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Commission set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. SB/1/2016/MCOM1/SEHRMT/RU-IV Dated: 12.12.2017

To,

The Secretary,
Ministry of Culture,
Shastri Bhawan,
New Delhi.

Sub: Proceedings of the sitting taken by Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 13.10.2017 at 02.00 P.M in the matter of Shri S. Baa, Deputy Director, CCRT (Safdurjung Enclave, New Delhi) regarding harassment on ST Employees.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Proceedings of the Sitting held under the Chairmanship of Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes on 13.10.2017 on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that action taken report in the matter may please be intimated to the Commission, at an early date.

Yours faithfully,

DSKumbhare 12/12/2017
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary
Ph. No. 24657271

Copy to:-

Shri S. Baa,
20-C, Krishna Nagar,
Lane No. 01, Safdarjung Enclave,
New Delhi – 110 029.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SB/1/2016/MCOM 1/SEHRMT/RU-IV)

श्री एस. बा, उप निदेशक, सीसीआरटी, सफदरजंग ईंक्लेव, नई दिल्ली के द्वारा अन्याय-उत्पीड़न के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि	:	13.10.2017
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री एस. बा उप निदेशक, सीसीआरटी, सफदरजंग ईंक्लेव, नई दिल्ली ने सीसीआरटी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अन्याय और उत्पीड़न करने के संबंध मे दिनांक 17.02.2016 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया। उन्होने अभ्यावेदन मे बताया कि आयोग मे उनका केस 2008 से चल रहा है, आयोग की अनुशंसाओं के कारण उन्हे आंशिक राहत मिली थी, किन्तु बाद में उनकी सेवा समाप्त कर उनके साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है।
2. अभ्यावेदक के मामले में विचार करते हुये आयोग ने दिनांक 01.03.2016 को एक नोटिस भेजकर सचिव, संस्कृति मंत्रालय 15 दिन के अंदर जवाब मांगा.
3. आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर मे —— संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया कि श्री एस. बा. के प्रकरण मे आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है एवं उनके निलंबन को रोक दिया गया है। साथ ही उन्हे पदोन्नति भी प्रदान की गई है तथा उनका स्थानांतरण भी नही किया गया है। पत्र मे यह भी उल्लेख किया गया कि श्री बा ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए बनी संसदीय समिति के समक्ष दिनांक

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

15.12.2014 को यह बताते हुये अभ्यावेदन दिया था कि मंत्रालय आयोग की अनुशंसाओं को लागू नही कर रहा है। इसके जवाब मे सीसीआरटी ने समिति को जवाब दिया कि श्री बा का निलंबन दिनांक 18.05.2009 के आदेश द्वारा रोक दिया गया है और उनके द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाई नही की गई है और न ही लंबित है।

4. मंत्रालय के इस प्रत्युत्तर से अभ्यावेदक श्री एस. बा को दिनांक 20.12.2016 को अवगत करा दिया गया।

5. अभ्यावेदक ने पुनः दिनांक 24.04.2017 को अपना असंतोष जाहिर करते हुए आयोग रिज्वाइंडर प्रस्तुत किया। उन्होने मंत्रालय के प्रत्युत्तर मे दिये गए तथ्यों को गलत बताया और कहा कि उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और दिनांक 18.05.2009 को सम्पन्न आयोग की बैठक की अनुशंसाओं को लागू नही किया गया है।

6. अभ्यावेदक के इस रिज्वाइंडर पर आयोग ने दिनांक 26.09.2017 को एक सीटिंग नोटिस जारी कर सचिव, संस्कृति मंत्रालय को चर्चा के लिए आयोग में दिनांक 13.10.2017 को बुलाया.

7. आयोग में चर्चा के लिए श्री एम. एल. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय; श्री जी. सी. जोशी, निदेशक, सीसीआरटी; श्री एन.टी. पाइटे, उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय; श्री अर्णब, एआईसीएच, अवर सचिव; श्री ए.के. घोषाल, ओएसडी, सीसीआरटी उपस्थित हुए।

8. आयोग ने अभ्यावेदक श्री एस. बा को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा। श्री बा ने आयोग को अवगत कराया कि आयोग मे उनका केस वर्ष 2008 से चल रहा है आयोग की अनुशंसाओं के कारण उन्हे आंशिक राहत मिली थी, किन्तु बाद मे उनकी सेवा समाप्त कर उनके साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है। उनके साथ भेदभाव और अन्याय-उत्पीड़न किया जाता है। वर्तमान मे उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और दिनांक 18.05.2009 को सम्पन्न आयोग की बैठक की अनुशंसाओं को लागू नही किया जा रहा है।

9. आयोग ने उपस्थित अधिकारियों से इस विषय में जानना चाहा। संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय ने आयोग को अवगत कराया कि श्री बा के मामले मे आयोग की

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सभी अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू किया गया है। किन्तु वर्ष 2008 मे अभ्यावेदक का तबादला गुवाहाटी मे किया गया था उस दौरान वे उस दफ्तर मे नही गए। अभ्यावेदक ने किसी तरह की कोई स्वीकृत छुट्टी नही ली और दिल्ली आ गए। दिल्ली के दफ्तर मे ये बिना वजह आते रहते थे, जबकि इनकी पोस्टिंग गुवाहाटी मे थी। उनके खिलाफ विभाग मे काफी शिकायतें मिलती रही हैं। साथ ही जब इनके खिलाफ जांच की गई तो जांच प्रक्रिया मे इन्होने सहयोग नही किया और कभी उसमे उपस्थित नही हुये। जांच सम्पन्न होने के पश्चात उसकी रिपोर्ट से श्री बा को अवगत कराया गया तथा 45 दिन के अंदर इनके कमेंट्स मांगे गए। जब इनके कमेंट्स प्राप्त नही हुआ तो जांच कमिटी की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर इनके ऊपर विभागीय कार्यवाई की गई।

10. आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात यह अनुशंसा की, कि अभ्यावेदक श्री एस. बा इस प्रकरण मे एक अपील पीटीशन सीसीआरटी सोसायटी को भेजें तथा उसकी एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध कराएं। सीसीआरटी सोसायटी इस मामले मे तत्काल नियमानुकूल उचित कार्यवाई करते हुये एक माह के अंदर आयोग को सूचित करे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SB/1/2016/MCOM 1/SEHRMT/RU-IV)

श्री एस. बा उप निदेशक, सीसीआरटी, सफदरजंग ईंक्लेव, नई दिल्ली के द्वारा अन्याय-उत्पीड़न के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्रीमती के. डी. बंसोर, निदेशक
3. श्री डी. एस. कुंभारे, अवर सचिव
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री आर. एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक

संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी

1. श्री एम. एल. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय;
2. श्री जी. सी. जोशी, निदेशक, सीसीआरटी
3. श्री एन.टी. पाइटे, उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय
4. श्री अर्णब, एआईसीएच, अवर सचिव
5. श्री ए.के. घोषाल, ओएसडी, सीसीआरटी

अभ्यावेदक

1. श्री एस. बा